न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 5 / 2024

GCMS No. 2024 / 23

1. उम्मेदसिंह पुत्र शिवलाल जाति जाट निवासी भगवतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. ओमप्रकाश पुत्र शिवलाल जाति जाट निवासी भगवतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. मुकेश कुमार पुत्र शिवलाल जाति जाट निवासी भगवतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. मैनकुमार पुत्र शिवलाल जाति जाट निवासी भगवतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
5. मोहरी पत्नी शिवलाल जाति जाट निवासी भगवतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. महेश कुमार पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट निवासी भगवतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. रणधीरसिंह पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट निवासी भगवतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. विद्यादेवी पुत्री चुन्नीलाल पत्नी रूपाराम निवासी रणवा की ढ़ाणी तहसील व जिला चूरू।
4. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गांगियासर जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मलसीसर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी —श्री विनोद कुमार गिल
वकील अप्रार्थी संख्या 1, 2 — मोहम्मद रशीद खान

निर्णय

दिनांक 24.06.2025

संक्षेप मे आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण की सहखातेदारी की भूमि खेत ख0न0 16 रकबा 11.07 है0 सरहद मौजा ग्राम भगवतपुरा तहसील मलसीसर में स्थित है। खेत ख0न0 9 व 11 ग्राम भगवतपुरा में स्थित है जो अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की सह खातेदारी की भूमि है। ग्राम बीदासर से भगवतपुरा एक कटानी रास्ता जाता है जिसके ख0न0 10 है जिस पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है। उक्त ख0न0 9 व 11 के मध्य से गुजरता है। उक्त रास्ता से मार्क ए से बी बिन्दु तक प्रार्थीगण अपने खेत में हमेशा से आते जाते रहे है उक्त रास्ते बाबत पूर्व में ग्राम पंचायत कोदेसर के

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

समक्ष मुकदमा चला फिर जिला कलक्टर के यहां अपील चली जिसमें राजीनामा प्रस्तुत करके मार्क ए से बी रास्ते को पक्षकारान ने स्वीकार किया। अपीलार्थीगण मोटाराम के तथा अप्रार्थीगण बालुराम के वारिसान है। नजरीनक्शा में अंकित मार्क बी स्थान पर आज भी गेट लगा हुआ है उक्त ए से बी रास्ते को ए स्थान पर अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 ने तारबन्दी कर अवरूद्व कर दिया। अप्रार्थीगण के खेत में जाने के लिये एक मात्र रास्ता मार्क ए से बी ही है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। खेत में प्रार्थीगण ने कुआं बना रखा है दोनो फसल काश्त करते है। इसके अलावा प्रार्थीगण के खेत में पहुंचने के लिए एक अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। इसलिये प्रार्थीगण को उक्त रास्ता दिलवाया जाना न्यायहित में न्यायोचित है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदकगण को अपनी भूमि खेत ख0न0 16 में आने–जाने के लिये ख0न0 10 गै0मु0 रास्ता से सलंग्न नजरी नक्शें में दर्शित मार्क ए से बी बिन्दु तक 20 फुट चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता अकंन किया जावे। रास्ते मे जाने वाली भूमि का भुगतान प्रार्थीगण डीएलसी दर से करने के लिये तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पावन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदक संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र झुठे एवं मनगढंत तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 104/72, 105/72, 106/72, 16, 18, 26, 69, 70, 71, 74, 75, 76 में आने जाने के लिए प्रार्थी खसरा नम्बर 105/72 गै०मु०रास्ता में से आता जाता रहा है तथा खेत खसरा नम्बर 104/72, 105/72, 106/72, 16, 18, 26, 69, 70, 71, 74, 75, 76 एक की खाते व एक ही खसरे की जमीन है जो कि प्रार्थीगण की है। उक्त खसरा नम्बर 105/72 गै०मु०रास्ता से प्रार्थी हमेशा से ही आता जाता रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के खेत में से कभी भी नहीं आया और ना ही अप्रार्थीगण के खेत में से प्रार्थी के खेत में जाने का कोई रास्ता मौजूद है। अप्रार्थी के खेत में कोई रास्ता ना होने के कारण रास्ते में आने जाने से अवरोध पैदा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थी के पास अपने खेत में आने जाने के लिए पहले पुराने समय से ही रास्ता मौजूद है। जबकि प्रार्थी के द्वारा बताया गया रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के अनुसार कोई भी अभिधारी तब ही नया रास्ता की मांग कर सकता है जबकि उसके पास अपनी जोत तक पहुचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं हो जबकि उक्त प्रकरण में प्रार्थी के खेत में जाने के लिए पहले से मौके रास्ता मौजूद है और प्रार्थी केवल सुविधा के आधार पर नया रास्ता की मांग नहीं करसकता है। इसलिये आवेदकगण का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

अनावेदकगण संख्या 3, 4, 5 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार मलसीसर के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 03.04.2025 से अपनी मौका रिपोर्ट प्रेषित की। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि में पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजुद है। आवेदक की स्वयं की खातेदारी भूमि ख0न0 76 उक्त कटानी रास्त ख0न0 10 पर स्थित है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता कटानी रास्ता ख0न0 10 से सीधा ख0न0 16 में जाने हेतु लघुतम है। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग हेतु मांग की गई है।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता आवेदकगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवेदक के पास अपने खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है तथा तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अथवा नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार जो भी न्यायालय उचित समझे लघुतम रास्ता रिकार्ड में कटानी दर्ज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि लुणा से ख0न0 298 व ख0न0 463 में से रास्ता मौके पर मौजुद है। आवेदकगण के खेत के लिए पहले से चालु व सुविधाजनक रास्ता मौजुद है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि ख0न0 16 में आने जाने हेतु ख0न0 9, 11 में मौके पर चालु कटानी रास्ते से नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि में पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजुद है। आवेदक की स्वयं की खातेदारी भूमि ख0न0 76 उक्त कटानी रास्त ख0न0 10 पर स्थित है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता कटानी रास्ता ख0न0 10 से सीधा ख0न0 16 में जाने हेतु लघुतम है। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग हेतु मांग की गई है। वकील पक्षकारान के निवेदन पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वयं मौका देखा गया। मौके पर ख0न 10 कटानी रास्ते से ख0न0 16 में आने जाने हेतु रास्ते के निशानात मौजुद पाये गये। मौके पर लोहे का पुराना गेट लगा हुआ है जो यह ताकिद करता है कि पूर्व में

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

यहां से कदीमी रास्ता मौजुद रहा है। जिसे वर्तमान में बंद कर दिया गया है। उक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रकरण 251क के प्रावधानों के तहत नहीं बनता है बल्कि प्रकरण में धारा 251 के प्रावधान लागु होते है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों, तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मौजुदा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आता है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण में धारा 251 के प्रावधान लागु होते है। तहसीलदार धारा 251 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर